माननीय न्यायमूर्ति एमएम कुमार और जितेंद्र चौहान के समक्ष

अरविंद कुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य – उत्तरदाता

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15090

2 मार्च, 2010

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - याचिकाकर्ता की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) के रूप में नियुक्ति - सत्यापन फॉर्म में जानकारी का खुलासा न करना - परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवाओं की समाप्ति - सत्यापन फॉर्म भरने के समय किसी भी न्यायालय में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है - याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत पहले ही ग्राम पंचायत द्वारा दायर की जा चुकी थी - पुलिस द्वारा भेजी गई गलत रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई - समाप्ति के आदेश मनमाना- याचिका की अनुमति दी गई, समाप्ति के आदेश रद्द कर दिए गए।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की याचिकाकर्ता ने किसी भी जानकारी को नहीं दबाया क्योंकि वास्तव में, उस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया था। वास्तव में, उन्हें प्रारंभिक चरण में छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि शिकायत ने आगे नहीं आना पसंद किया था। इसी तरह, सत्यापन फॉर्म के खंड 12 (1) (1) में जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा सही ढंग से प्रकट की गई है क्योंकि सत्यापन फॉर्म भरने के समय कानून की किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था।

(पैरा 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की यह प्रतिवादियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता का काम और आचरण कभी भी असंतोषजनक रहा है। उनके परिणाम मानक के अनुरूप पाए गए हैं और वास्तव में उनका काम और

आचरण संतोषजनक है। दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 और 10 अक्तूबर, 2008 के समाप्ति आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश असंतोषजनक कार्य और आचरण के आधार पर नहीं दिया गया है, जो परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यमुक्त करने का आधार बन सकता है। तथ्यात्मक स्थिति होने के नाते, समाप्ति के आदेश मनमाने हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

(पैरा 16)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की याचिकाकर्ता ने 20 सितंबर, 2007 को सत्यापन फॉर्म दाखिल किया था और उस तारीख को उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। ग्राम पंचायत, तंगरोती ने 25 जून, 2007 के आदेश के तहत अभियोजन न चलाए जाने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज कर दी थी। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक द्वारा 18 फरवरी, 2008 को भेजी गई गलत रिपोर्ट के कारण प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अगर पुलिस ने सही रिपोर्ट भेजी होती तो स्थिति कुछ और होती।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एस. सैनी ने कहा:

आर. के. शर्मा, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति एमएम कुमार एम. एम. कुमार,

1. संविधान के अनुच्छेद 2260 के तहत दायर की गई याचिका में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा ओए संख्या 653/एचपी/2007 में पारित दिनांक 27 अगस्त, 2009 (पी-4) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया है।याचिकाकर्ता ने 2 अक्तूबर, 2008 और 10 अक्तूबर, 2008 (ए-1 और ए-2) के टर्मिनेशन आदेशों को निरस्त करने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) के पद से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के एक विज्ञापन के अनुसरण में टीजीटी (गणित) के 230 पदों सहित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) के विभिन्न पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई थी। लिखित

परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण करने वाले याचिकाकर्ता को 14 सितम्बर, 2007 के ज्ञापन (ए-7) के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी (गणित) के रूप में शामिल होने के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था। नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 7 के अनुसार, दो साल की अवधि परिवीक्षा अवधि के रूप में निर्धारित की गई है, जो नियुक्ति की तारीख से शुरू होनी थी। शर्त संख्या 8 के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया जा सकता है। 28 सितंबर, 2007 को, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आदमपुर में टीजीटी (गणित) के रूप में प्रवेश लिया। अपने कर्तव्यों में शामिल होने से पहले, उन्होंने 20/26 सितंबर, 2007 को अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में विधिवत रूप से भरा हुआ सत्यापन फॉर्म प्रस्तुत किया। दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 (ए-आई) को सहायक 2 ने Commissioner-respondent No. याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए पारित कर दिया। उक्त आदेश उन्हें दिया गया था - 10 अक्टूबर, 2008 (ए -2) के एक अन्य आदेश के माध्यम से प्रिंसिपल, केवी नंबर 2, आदमपुर-प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित किया गया था।

3. व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2 अक्टूबर, 2008 और 10 अक्टूबर, 2008 के अपने समाप्ति आदेशों को ओए संख्या 653/एचपी/2008 (पी-एल) दायर करके ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी। ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया और याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के कारण का खुलासा किया। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सत्यापन फार्म को 18 फरवरी, 2008 के पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को सत्यापन के लिए अग्रेषित किया गया था __। संबंधित तिमाही द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा धारा 341, 323 और 34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन धर्मशाला के तहत 12 जुलाई, 2006 को आपराधिक मामला एफआईआर संख्या 147/2006 दर्ज किया गया था, जो अभी भी लंबित है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो गया क्योंकि याचिकाकर्ता के पास भौतिक जानकारी है और तदनुसार

इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह केवीएस के कर्मचारी होने के लिए अयोग्य था। इस प्रकार, नियुक्ति पत्र में निर्धारित शर्त संख्या 8 के संदर्भ में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

4. बयान के जवाब में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने सत्यापन फॉर्म में कोई जानकारी नहीं छिपाई है, बल्कि प्रत्येक कॉलम का सही जवाब दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि time 20 सितम्बर, 2007 को मामला भरे जाने के समय उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं था क्योंकि उन्हें 25 जून, 2007 (ए-9) के आदेश के तहत ग्राम पंचायत, तंगरोती द्वारा उपर्युक्त एफआईआर में पहले ही आरोपमुक्त/बरी कर दिया गया था और मामले की फाइल बंद कर दी गई थी। इसके बाद किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी मां के खिलाफ उपरोक्त एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच एजेंसी ने मामले को हस्तक्षेप के लिए ग्राम पंचायत, तंगरोती को विचार के लिए भेजा, जिसने 25 जून, 2007 को याचिकाकर्ता और उसकी मां (ए -9) को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम (ए-10) के तहत पुलिस से मांगी गई जानकारी को भी रिकॉर्ड में रखा है।

5. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर ओए को खारिज कर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को 'अभियोजन' का सामना करना पड़ा है क्योंकि एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह आपराधिक मामले का सामना कर रहा था। हालांकि, बाद में उनके द्वारा फोर्नाट प्रस्तुत करने से पहले गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया। लेकिन उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है। ट्रिब्यूनल के अनुसार, अगर यह जानकारी सत्यापन फॉर्म में दी गई थी, तो यह सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार था कि या तो वह उन्हें नियुक्ति की पेशकश करे या उनकी उम्मीदवारी को मान्यता दे। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक निष्कर्ष लौटाया है कि उसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे

कोई नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अभी भी परिवीक्षा में था, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के वकील श्री एच. एस. सैनी ने तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने हाइपर टेक्निकल दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि यह सत्यापन फॉर्म के पैरा और (आई) में मांगी गई जानकारी का खुलासा न करने से प्रभावित है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने दिनांक 18 फरवरी, 2008 (आर-1) की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12 जुलाई, 2006 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 34 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 147/06 दर्ज की गई थी, जो लंबित है। श्री सैनी ने कहा है कि यह रिपोर्ट झूठी है क्योंकि 25 जून, 2007 (ए-9) के जीटीएएम पंचायत, तंगरोती के निर्णय के अनुसार, उक्त एफआईआर से संबंधित मामला गैर-अभियोजन के लिए दायर किया गया था क्योंकि सीक्यूएमप्लेनेंट ने एक से अधिक अवसरों पर खुद को अनुपस्थित कर दिया था।

7. विद्वान वकील के अनुसार, पैरा 12 (1) के खंड (बी) और (आई) के संबंध में ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण (पैरा 1 एल' के तहत 'खंड (बी) और (जे) के रूप में ट्रिब्यूनल द्वारा गलत तरीके से उल्लिखित) भी टिकाऊ नहीं है क्योंकि सत्यापन फॉर्म भरने की तारीख यानी 20 सितंबर को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था। 2007. अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने **दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य**[1] और **धर्मेंद्र सिंह बनाम पुलिस महानिदेशक, हरियाणा**[2] के मामलों में दिए गए इस न्यायालय के दो खंडपीठ के फैसलों पर भरोसा किया है। उन्होंने **दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाम धवल सिंह**[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर भी भरोसा किया है। अपनी दलील को प्रमाणित करने के लिए। विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में

---

[1] 2006 (4) एससीटी 429

[2] 2006(3) एसएलआर 833

[3] 1999 (4) एस.सी.टी. 732

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (मार्च, 2006 तक संशोधित) की धारा 32 [संक्षिप्तता के लिए, '1994 अधिनियम'] लाया है, जो उन अपराधों का प्रावधान करता है जिन पर ग्राम पंचायत के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 32 अनुसूचित III को संदर्भित करती है। अनुसूची III की मद संख्या 18, 20 और 33 आईपीसी की धारा 323, 341 और 406 के तहत अपराधों से संबंधित है और तदनुसार ग्राम पंचायत, तंगरोती, 25 जून, 2007 (ए -9) को आदेश पारित करने के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत थी। तर्क यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त जानकारी का खुलासा करने की स्पष्ट रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब तक सत्यापन फॉर्म भरा जाना था, तब तक न तो कोई अभियोजन लंबित था और न ही याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार किया गया था और उसके पूर्ववृत्त और चरित्र को गलत नहीं ठहराया जा सकता था।

8. श्री आर. के. शर्मा, प्रतिवादी संख्या 10 के वकील हालांकि, I से 3 ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पर एक कर्तव्य डाला गया है और सत्यापन फॉर्म के पैरा 1 2 में खंड (बी) और (एल) द्वारा जानकारी उससे मांगी गई थी। जिस सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या उन पर कभी मुकदमा चलाया गया है, जिसके लिए उन्होंने गलत तरीके से 'नहीं' में जवाब दिया है। खंड 1 2 (1) (आई) के अनुसार, याचिकाकर्ता को सत्यापन फॉर्म भरने के समय यह खुलासा करने के लिए कहा गया था कि क्या उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित था, जिस पर उसने 'नहीं' का जवाब भी दिया है। श्री शर्मा ने **केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम राम रतन यादव**[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने निर्णय के पैरा 6 से 8 में की गई टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि शिक्षक के मामले में उसके पूर्ववृत्त और चरित्र से संबंधित हर जानकारी का खुलासा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जो पूरी तरह से भरे हुए सत्यापन फॉर्म प्राप्त करने का मूल उद्देश्य है। श्री शर्मा ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में, आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामला धारा 323, 341, 294, 506 बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत था, हालांकि वर्तमान मामले में कार्यवाही याचिकाकर्ता के

[4] जे.टी. 2003 (2) एससी 256

किसी भी सजा या अभियोग के बिना समाप्त हो गई है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता से मांगी गई जानकारी यह थी कि क्या उन पर अतीत में कभी मुकदमा चलाया गया है और वह उस शिकायत का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं, जिसे ग्राम पंचायत, तंगरोती द्वारा 25 जून, 2007 (ए -9) के आदेश के तहत पैरा 12 (1) (आई) में सत्यापन फॉर्म में तय किया गया है।

9. पक्षकारों के वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद हमारा विचार है कि तत्काल याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। इस न्यायालय के निर्धारण के लिए जो पहला प्रश्न उठेगा वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता जैसे परिवीक्षाधीन की बर्खास्तगी पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सवाल उठाया जा सकता है। परिवीक्षाधीन की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को पद धारण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को न्यायिक समीक्षा का विषय बनाया जा सकता है यदि ऐसा आदेश मनमाना या दंडात्मक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटना **उच्च न्यायालय बनाम पांडेय मदन मोहन प्रसाद सिन्हा** [5] के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 6 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन अधिकारी की स्थिति की तुलना उस कर्मचारी से नहीं की जा सकती जिसे किसी पद पर पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया हो और उसे उस पद को धारण करने का अधिकार हो। एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर केवल तभी सवाल उठाया जा सकता है जब यह दिखाया जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) की आवश्यकताओं का पालन किए बिना मनमाने ढंग से पारित किया गया है या सजा के माध्यम से पारित किया गया है। चूंकि एक परिवीक्षाधीन को उस पद को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है जिस पर उसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, इसलिए वह अपनी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उक्त सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे प्रतिकूल सामग्री के बारे में सूचित करने का दायित्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक पहलू है। लेकिन परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन की सेवाओं की समाप्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसे पद धारण करने का अधिकार नहीं है।

---

[5] (1997) 10 एस.सी.सी. 409

(10) इसी तरह की टिप्पणियां दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सतवेंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता [6] के मामले में की गई हैं, जहां परिवीक्षाधीन अधिकारी से संबंधित पूरे मामले के कानून की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई है।

(Il) इसी प्रकार, वीपी आहूजा बनाम पंजाब राज्य[7] (7) के मामले में पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :

> "7. एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति, एक अस्थायी नौकर की तरह, कुछ सुरक्षा का भी हकदार है और उसकी सेवाओं को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता है, न ही उन सेवाओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दंडात्मक तरीके से समाप्त किया जा सकता है। "

(12) प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 और 10 अक्तूबर, 2008 (क-I और क-2) की समाप्ति का आदेश शक्ति के मनमाने प्रयोग का परिणाम है या आदेशों को प्रामाणिक माना जा सकता है। यह रिकॉर्ड पर आया है कि समाप्ति के आदेश इस आधार पर पारित किए गए थे कि याचिकाकर्ता यह खुलासा करने में विफल रहा कि वह 12 जुलाई, 2006 के मामले एफआईआर संख्या 147/2006 में अभियोजन का सामना कर रहा था, और वह आपराधिक मामले का सामना कर रहा था, हालांकि, बाद में ग्राम पंचायत, तंगरोती द्वारा गैर-अभियोजन के लिए दायर किया गया था, 25 जून के आदेश के तहत। 2007 (ए")। यह सच हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने 12 जुलाई, 2006 को मामला एफआईआर संख्या 147/2006 दर्ज करने और ग्राम पंचायत द्वारा पारित 25 जून, 2007 के आदेश के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया, तंगरोती गैर-अभियोजन (ए -9) के लिए याचिकाकर्ता और उसकी मां के खिलाफ की गई शिकायत को दर्ज करने से पता चलता है। याचिकाकर्ता द्वारा 20 सितंबर, 2007 को सत्यापन फॉर्म भरा गया था, जो बहुत बाद में है। सत्यापन फार्म के पैरा 12 (1) में खंड (बी) और (आई) में मांगी गई जानकारी निम्नानुसार है:—

xxx xxx

(बी)) क्या आप पर हर किसी पर मुकदमा चलाया गया है?हाँ / नही

---

[6] (1999) 3 एस.सी.सी. 60

[7] (2000) 3 एस.सी.सी. 239

(आई)क्या इस सत्यापन फॉर्म को भरने के समय आपके खिलाफ किसी भी अदालत में हां / नहीं में कोई मामला लंबित है? हाँ / नहीं

(J) xxx xxx

(13) सत्यापन फॉर्म के खंड 12 (1) (बी) के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता को यह खुलासा करना था कि क्या उस पर कभी मुकदमा चलाया गया है। दिनांक 12 जुलाई, 2006 की एफआईआर संख्या 147/2006 के संबंध में तथ्य 1994 अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसरण में याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत, तंगरोती के समक्ष तलब करने से आगे नहीं बढ़ता है। एक आपराधिक अदालत के रूप में कार्य करते हुए ग्राम पंचायत, तंगरोती ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया। यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी अभियोजन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि चालान पेश नहीं किया जाता है या जांच में आरोप पत्र नहीं दिया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम केवी जानकीरमन**[8] के मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

"16.....ट्रिब्यूनल की पूर्ण पीठ ने माना है कि यह केवल तभी होता है जब अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप-ज्ञापन या आपराधिक अभियोजन में आरोप-पत्र कर्मचारी को जारी किया जाता है कि यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही / आपराधिक अभियोजन शुरू किया जाता है। आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी होने के बाद ही सीलबंद कवर प्रक्रिया का सहारा लिया जाना है। उस चरण से पहले प्रारंभिक जांच का लंबित रहना अधिकारियों को सीलबंद कवर प्रक्रिया को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हम इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण से सहमत हैं। अपीलकर्ता-अधिकारियों के वकील द्वारा दी गई यह दलील कि जब गंभीर आरोप हैं और आरोप-पत्र/आरोप-पत्र तैयार करने और जारी करने के लिए आवश्यक सबूत एकत्र करने में समय लगता है,

[8] (1991) 4 एस.सी.सी. 109

तो कर्मचारी को पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के साथ पुरस्कृत करना प्रशासन की शुद्धता के हित में नहीं होगा। इस तर्क को स्वीकार करने से कई मामलों में कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। जैसा कि अब तक का अनुभव रहा है, प्रारंभिक जांच में अत्यधिक लंबा समय लगता है और विशेष रूप से जब इच्छुक व्यक्तियों के कहने पर उन्हें शुरू किया जाता है, तो उन्हें जानबूझकर लंबित रखा जाता है। कई बार वे कभी भी किसी आरोप-ज्ञापन/आरोप-पत्र को जारी नहीं करते हैं। यदि आरोप गंभीर हैं और अधिकारी उनकी जांच करने के इच्छुक हैं, तो आमतौर पर प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करने और आरोपों को अंतिम रूप देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा * इसके अलावा, यदि आरोप इतने गंभीर हैं, तो अधिकारियों के पास संबंधित नियमों के तहत कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति है, और निलंबन अपने आप में सीलबंद कवर प्रक्रिया का सहारा लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार अधिकारी बिना किसी उपाय के नहीं हैं।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों निष्कर्षों के बीच एक विरोधाभास प्रतीत होता है। लेकिन सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ें, और यही पूर्ण पीठ का इरादा है, दोनों निष्कर्षों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। निष्कर्ष संख्या 100 है। मुझे इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि पदोन्नति आदि को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि कर्मचारी के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक / आपराधिक कार्यवाही लंबित है। उक्त लाभ से इनकार करने के लिए उन्हें उस स्तर पर लंबित समय पर होना चाहिए जब कर्मचारी को आरोप-ज्ञापन/ आरोप-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। इस प्रकार पढ़ें, दो निष्कर्षों में कोई असंगति नहीं है।

14. इस मुद्दे पर फैसलों की कोई कमी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में **केवी जानकीरमन के मामले (सुप्रा)** में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया, लागू किया और आगे समझाया; **भारत संघ बनाम केवल कुमार[9] भारत संघ बनाम संग्राम केशरी नायक[10]; कोल इंडिया लिमिटेड,**

[9] (1999) 3 एस.सी.सी. 204

[10] (2007) 6 एस.सी.सी. 704

बनाम सरोज कुमार मिश्रा[11]**; और यूको बैंक बनाम राजिंदर लाल**[12] में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया, इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने किसी भी जानकारी को नहीं दबाया क्योंकि वास्तव में, उस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया था। वास्तव में, उन्हें प्रारंभिक चरण में ही छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता ने आगे नहीं आना पसंद किया था। इसी तरह, सत्यापन फॉर्म के खंड 12 (1) (आई) में जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा सही ढंग से प्रकट की गई है क्योंकि सत्यापन फॉर्म भरने के समय कानून की किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था।

15.अन्यथा, ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया है और जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह विचार लिया है कि ऐसी जानकारी का खुलासा न करना तथ्यों को छिपाना नहीं होगा। एक ऐसे मामले में जहां एक कांस्टेबल को आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया था और सत्यापन फॉर्म में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था, इस अदालत ने इसे एक अति तकनीकी आवश्यकता माना और आदेश को रद्द कर दिया, जो तथ्य छिपाने के आरोप पर आधारित था। **सुभाष बनाम हरियाणा राज्य**[13] के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:—

> "पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और आवश्यक रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रतिवादियों द्वारा ली गई याचिका अत्यधिक अति-तकनीकी है और रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। यह उनकी पूर्व दोषसिद्धि के बारे में तथ्य को छिपाना नहीं है जिसे किसी कर्मचारी के खिलाफ ध्यान में रखा जा सकता है और जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति को बाद में रद्द किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पर केवल मुकदमा चलाया गया था और एक सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह पुलिस सेवा में भर्ती के लिए आवेदन जमा करते समय प्रतिवादियों को इस तथ्य का खुलासा करे। किसी भी मामले में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं है जिसके

---

[11] (2007)9 एस.सी.सी. 625

[12] (2008) 5 एस.सी.सी. 257

[13] 1994 (4) एसएलआर 525

आधार पर उसकी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है, जिसे पहले ही 4 सितंबर, 1989 के आदेश द्वारा किया जा चुका है। इसलिए, आपराधिक मामले में उन्हें बरी करने से संबंधित जानकारी का खुलासा न करना याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रोकने का कोई आधार नहीं है। "

16. इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता का काम और आचरण कभी भी असंतोषजनक रहा है। उनके परिणाम मानक के अनुरूप पाए गए हैं और वास्तव में उनका काम और आचरण संतोषजनक है। दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 (ए-1) और 10वें अक्तूबर, 2008 के समाप्ति आदेश के अवलोकन से यह और स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश असंतोषजनक कार्य और आचरण के आधार पर नहीं दिया गया है, जो एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को छुट्टी देने का आधार बन सकता है। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के नाते, बर्खास्तगी के उपरोक्त आदेश मनमाने हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

17. वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला बेहतर स्थिति में है। रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने 20 सितंबर, 2007 को सत्यापन फॉर्म भरा था और उस तारीख को उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। ग्राम पंचायत तंगरोती ने अभियोजन न चलाए जाने के कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध 25 जून, 2007 (7-9) के आदेश के तहत पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी गई दिनांक 18 फरवरी, 2008 (आर1) की गलत रिपोर्ट के कारण प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अगर पुलिस ने सही रिपोर्ट भेजी होती तो स्थिति कुछ और होती।

18. प्रतिवादियों के वकील श्री आर. के. शन्ना द्वारा उठाए गए तर्क में कोई बल नहीं मिलता है। रतन यादव (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अलग है, यहां तक कि श्री शर्मा के स्वयं के कथन के अनुसार, उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित थी, लेकिन वर्तमान मामले में, जैसा कि पिछले पैरा में समझाया गया है, इस तरह का कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया

था जो इस मामले को पूरी तरह से अलग बनाता है। इसलिए, हमें श्री आर के शर्मा द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

19. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, तत्काल याचिका की अनुमति दी जाती है। अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2009 (पी-4) के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 और 13 अक्तूबर, 2008 के बर्खास्तगी के आदेशों को निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि, वह समाप्ति की तारीख यानी 13 अक्टूबर 2008 से बहाली की तारीख तक वेतन की बकाया राशि को छोड़कर सभी लाभों के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता 22 मार्च, 2010 को या उससे पहले सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सरकारी अस्पताल रोड, गांधी नगर, जम्मू-प्रतिवादी संख्या 2 को रिपोर्ट करेगा।

20. आदेश की एक प्रति सामान्य शुल्क के भुगतान पर पार्टियों के विद्वान वकील को दी जानी चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।